

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 67/2011/जयपुर

मैसर्स अन्नू एण्टरप्राइजेज
जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त-आई, जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री पी.सी.जैन
अभिभाषक
श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 03.11.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 166/319/आरवैट/एपीपी-IV/09-10/आई/10-11 में पारित आदेश दिनांक 13.09.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 18.02.2010 को मैसर्स अन्नू एण्टरप्राइजेज के व्यवसाय स्थल/गोदाम की जांच एवं सर्वेक्षण का कार्य फर्म मैनेजर श्री अरूण शर्मा पुत्र श्री राजकुमार शर्मा की उपस्थिति में किया गया। जांच पर ज्ञात हुआ कि व्यवहारी द्वारा मुख्यतः टाईल्स, सेनेटरी गुड्स आदि का व्यवसाय किया जाता है। वक्त जांच मौके पर उपलब्ध खरीद फाईल से माल का मिलान करने पर कुल माल के खरीद बिल नहीं पाये गये। मौके पर पूछताछ पर बताया गया कि सोमानी एवं कोरसा मार्का की टाईल्स/बाथरूम फिटिंग्स एवं सेनेटरी गुड्स बिना खरीद बिलों एवं बिना जमा खर्च के रख हुआ है। इस प्रकार व्यवहारी के बताये अनुसार एवं प्रस्तुत खरद बिल फाईल के अनुसार अघोषित पाये गये माल की भौतिक सत्यापन मूल्यांकन फर्द तैयार की गई। सर्वेक्षण में कुल रू. 4,25,055/-का 14 प्रतिशत से कर योग्य माल बिना विधिक दस्तावेजों/बिना जमा खर्च के पया जाना व्यवहारी द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त प्रकार से अघोषित पाये गये माल के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-आई, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25 एवं 75 (8) के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2010 के लिए नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब में आरोपित किये गये तथा वाद का फैसला दिनांक 18.02.2010 को ही करने के साथ ही साथ अधिनियम की धारा 68(3) के अन्तर्गत प्रशमन करने का निवेदन किया गया। उक्त निवेदन को स्वीकार करते हुए कर




निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 68(3) के अन्तर्गत आदेश पारित कर रु. 1,65,765/- की मांग सृजित की। उक्त सृजित मांग से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अधिनियम की धारा 68 (3) के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 68 (7) के अन्तर्गत अपील योग्य नहीं मानकर अपील अग्रहणीय मानते हुए खारिज कर दी। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अपीलाधीन आदेश से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त जांच/सर्वेक्षण फर्म की बहियात कम्प्यूटर से संधारित करना एवं फार्म के सी.ए. के पास होना बताया। उनका कथन है कि वक्त सर्वे फार्म के प्रोपराईटर के उपस्थित नहीं होकर के बावजूद फर्म में मौजूद श्री अरुण शर्मा पर दबाव डालकर वाद को कम्पाउण्ड कर रु. 1,65,765/-की मांग सृजित कर वूसली कर ली गई,जो अनुचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 68(3) के अन्तर्गत पारित प्रशमन आदेश को नॉन अपीलीय माकनर अपीलार्थी की अस्वीकार कर मांग को यथावत रखा है,जो पूर्णतः अविधिक है। उनका कथन है कि समस्त रिकार्ड सी.एस के पास होने के कारण यह कैसे सत्यापित किया जा सकता है कि जो माल मौके पर मिला वह अघोषित था। उनका यह भी कथन है कि सर्वेक्षण की कार्यवाही फर्म मालिक अथवा उसके किसी अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थित में नहीं की गई है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वाद कम्पाउण्ड कराने के पश्चात अधिनियम की धारा 68 (3) के अन्तर्गत प्रशमन आदेश पारित कर दिया है,जिसके विरुद्ध अपील का प्रावधान अधिनियम में नहीं है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड के साथ ही साथ अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में निर्णय हेतु मुख्य बिन्दु यह विवादित है कि क्या अधिनियम की धारा 68(3) के अन्तर्गत पारित प्रशमन आदेश के विरुद्ध अपील हो सकती है या नहीं? इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 68 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा,जो निम्न प्रकार है :-

68. Composition of offences. - (1) Where a person or a dealer is charged under this Act with the offence of avoidance or evasion of tax in any manner and at any time; he may make an application in the prescribed form and manner to the Deputy Commissioner (Administration) having jurisdiction, admitting his offence and making request therein for composition of the offence in lieu of penalty or prosecution.



(2) The Deputy Commissioner (Administration) may, whether or not an assessment order under any section of this Act has been passed, accept from the person who made the application under sub-section (1), by way of composition of the offence in lieu of penalty or prosecution "a sum equal to" of the amount of tax avoided or evaded.

"[(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), on an application by a person admitting the offence committed by him under sub-section (8) of section 75 or under sub-section (6) or (9) or (11) of section 76, the officer authorized under sub-section (4) of section 75 or the officers "authorized under sub-section (4) of section 76 or Incharge of a check-post, as the case may be, may accept composition money from such person in lieu of penalty or prosecution, which shall be,-

(a) in case of offence committed under sub-section (8) of section 75 or sub-section (6) of section 76, equal to the amount of four times of the tax leviable on the goods involved or twenty five percent of the value of such goods, whichever is less;

(b) in case of offence committed by him under subsection (9) of section 76, equal to fifteen percent of the value of the goods;

(c) in case of offence committed under sub-section (11) of section 76, equal to twenty five percent of the value of such goods.]"

(4) The composition of any offence in lieu of penalty or prosecution under sub-section (2), shall be without prejudice to the liability of the person or dealer, charged with the offence, to pay the tax with interest so avoided or evaded or wrongly credited by him.

(5) On the payment of the amount of composition determined under sub-section (2) and (3), no further proceeding under the provisions of this Act for imposition of penalty or launching of prosecution for the same offence, shall be initiated.

(6) Notwithstanding anything contained in section 51, no amount of composition accepted and no amount of interest levied under this section, shall be waived or reduced by the Commissioner.


(7) Notwithstanding anything contained in section 82, no appeal shall lie or subsist against an order of composition made under this Act.

अधिनियम की धारा 68(3) के अन्तर्गत पारित किया गया आदेश अधिनियम की धारा 68 (7) के अन्तर्गत अपील योग्य (appealable) नहीं है ।

हस्तगत प्रकरण में व्यवहारी ने अभियोग स्वीकार करके, वाद को अधिनियम की धारा 68(3) के अन्तर्गत प्रशमन करने का निवेदन करने पर कर निर्धारण अधिकारी ने वाद को प्रशमित करके प्रशमन आदेश पारित किया है। इन्हीं तथ्यों का अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश में विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपील अग्रहणीय मानकर खारित की है, जो विधिक है।

प्रकरण के तथ्यों का उपरोक्तानुसार विवेचन कर अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2010 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।


(सुनील शर्मा)
सदस्य